79. 26 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पदों में चयन हेतु प्रक्रिया– केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अनापत्ति प्राप्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 27(12)ईओ/94(एसीसी) दिनांक 30 जुलाई, 1999 का संदर्भ ग्रहण करे जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पदों में चयन हेतु मामलों को प्रक्रियागत करने हेतु दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट किया गया है।

2. चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग अनापत्ति प्राप्त करने हेतु संशोधित प्रक्रियाओं को लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के पक्ष में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में बोर्ड स्तर की नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया है, जिससे कि इसमें होने वाले विंलब को दूर किया जा सके। संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

(i) प्राथमिक तौर पर सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी, जिन्हे पीएसईबी द्वारा साक्षात्कार हेतु आमत्रित किया गया हो, अपने व्यक्तिगत विवरण तथा अपनी पदस्थापना संबंधी विवरण – जो विगत 10 वर्षों के दौरान के लिए होगी, पीएसईबी को प्रस्तुत करेंगे। (निर्दिष्ट प्रारुप अनुलग्नक में संलग्न की गई है)

(ii) पीएसईबी प्राथमिक तौर पर चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त व्यक्तिगत विवरणों को [जैसे कि उपरोक्त (i) में है], को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी अनुशंसाओं के साथ भेजेगा।

(iii) तदोपरान्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग उन चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उल्लिखित संगठनों से जहां उन्होंने विगत 10 वर्षों की अवधि में कार्य किया है, वहां के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से वांछित विवरण प्राप्त करेगा।

(iv) संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अभिकरणों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर पीईएसबी से अनुशंसाओं की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी अनापत्ति प्रदान करेगा अथवा अन्यथा जैसा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 27(12)ईओ/94/(एसीसी) दिनांक 30.07.1999 के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।

3. लोक उद्यम चयन बोर्ड तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों का संज्ञान लें एवं संशोधित प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

अनुबंध

उन अधिकारियों का विवरण जिनके संबंध में सतर्कता टिप्पणियां/अनापत्ति चाही गई हैं

1. अधिकारी का नाम (पूरा में) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवानिवृत्ति की तिथि :
5. सेवा में प्रवेश की तिथि :
6. वह सेवा जिससे अधिकारी :

संबंध रखता है जिसमें उसका बैच/वर्ष
संवर्ग इत्यादि, जहां कहीं मान्य हो।

7. धारित पद
(दस पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान)

क्र. सं.	**संगठन (पूरा नाम)**	**पदनाम और पोस्टिंग की जगह**	**प्रशासनिक/नोडल मंत्रालय/संबंधित विभाग (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारी आदि)**	**कब से**	**कब तक**

दिनांकः (नाम और हस्ताक्षर)

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(26)/2004–जीएम, दिनांक, 20 जुलाई, 2009)

*****